**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या 1490**

**दिनांक 04.03.2020/14 फाल्गुन,1941 (शक) को उत्तर के लिए**

**राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का कार्यान्वयन**

**1490. श्री तिरुची शिवाः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या सरकार देश के सभी राज्यों में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को कार्यान्वित करने का विचार रखती है; और**

**(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को कार्यान्वित करने के लिए अब तक क्या-क्या कार्रवाई की गई है और किन-किन राज्यों ने कार्यान्वयन प्रक्रिया का प्रारंभ किया है?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)**

(क): नागरिकता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत निरूपित की गई नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान कार्ड जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम 3 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, केन्द्र सरकार ने असम को छोड़कर देश भर में 01 अप्रैल से 30 सितम्बर, 2020 के मध्य मकानसूचीकरण और मकानों की गणना के साथ जनसंख्या रजिस्टर तैयार और अपडेट करने का निर्णय लिया है।

(ख): नागरिकता नियमावली के अंतर्गत 31 जुलाई, 2019 को एक अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जा चुकी है। सभी राज्य/संघ राज्य सरकारों ने अपने संबंधित “राज्यों के राजपत्र” में इसे पुन: अधिसूचित कर दिया है।

\*\*\*\*\*